डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा 28-06-2003 को औंसी ओ० पी० का
किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी

I- परिचय :-

सरकार के विशेष सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 10525, दिनांक 16-10-1986 एवं आरक्षी महानिदेशक के सहायक (निरीक्षण), बिहार पटना के ज्ञापांक 1943/एस-2, दिनांक 24-10-1986 के आलोक में जिलादेश संख्या 2343/86, से बिस्फी थाना के औंसी ग्राम में एक आरक्षी चौकी की स्थापना की गई । तत्पश्चात् जिलादेश संख्या 1695/97 के अनुसार अ०नि० संजय कुमार सुमन को औंसी ओ०पी० के प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया । तदनुसार वे दिनांक 15-08-1997 को प्रभारी के रूप में योगदान दिये तथा ओ० पी० का कार्य विधिवत रूप से प्रारम्भ हुआ । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस ओ० पी० के 200 मीटर की दूरी पर दरभंगा जिला के नया गाँव नामक ग्राम है, जहाँ बड़े पैमाने पर राहजनी होती थी जिस पर काबू पाने एवं अपराध नियंत्रण हेतु इस ओ० पी० की स्थापना की गई थी ।

औंसी ओ० पी० जिला मुख्यालय से मधुबनी-रहिका-दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 पर लगभग 18 कि०मी० की दूरी पर औंसी गोठ ग्राम में अवस्थित है । यह ओ० पी० बेनीपट्टी आरक्षी अनुमण्डल अन्तर्गत पड़ता है । निरीक्षण के समय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, बिस्फी उपस्थित थे किन्तु लगभग एक माह पूर्व निरीक्षण की तिथि निर्धारित किये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी उपस्थित नहीं हुए, जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि दोनों पदाधिकारियों से अपने स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना चाहेंगे । साथ ही सभी अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षकों को निर्देश देना चाहेंगे कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा थाना के निरीक्षण के समय वे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे ।

बिस्फी अंचल के अन्तर्गत निम्नांकित थाना आते हैं :-

1- बिस्फी थाना
2- पतौना ओ० पी०
3- औंसी ओ० पी०

लगातार...2/-

औसी ओ0 पी0 रक्षित गार्ड में 1-4 सशस्त्र बल है जिसे जगह के अभाव में मध्य विद्यालय, धेपुरा में एक रूम में रखा गया है ।

2- भवन :-

औसी ओ0 पी0 को अपना भवन नहीं है बल्कि जनसहयोग से ईंट-फूस के निर्मित भवन में चल रहा है । इसमें दो छोटे-छोटे कमरे हैं जिसमें से एक में सिरिस्ता का कार्य एवं दूसरे में थाना प्रभारी का कक्ष तथा आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है । आरक्षी बैरक के नहीं रहने के कारण मध्य विद्यालय, धेपुरा में एक रूम में आरक्षियों को रखा जा रहा है । महिला हाजत, पुरुष हाजत एवं सभी कोटि के पदाधिकारी/कर्मचारी के लिए आवासीय भवन, शौचालय तथा पेयजलापूर्ति हेतु कार्रवाई की आवश्यकता है । अतः थाना भवन, आवासीय भवन, पुलिस बैरक, महिला हाजत, पुरुष हाजत आदि के निर्माण के लिए प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन, पटना से पत्राचार किया जाय ।

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि थाना भवन के पीछे भूतपूर्व जमींदार श्री राम शरण साह की जमीन है जिसमें से 2 कट्ठा जमीन वे दान में दे रहे हैं । अंचल अधिकारी, बिस्फी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संयुक्त रूप से श्री साह से सम्पर्क कर एक माह के अन्दर उक्त जमीन का निबंधन महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से निबंधित करा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अंचल अधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि शौचालय एवं पेयजलापूर्ति की व्यवस्था की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

3- प्रभार :-

श्री अख्तर हुसैन खाँ, अ0नि0 दिनांक 13-01-2000 से ओ0पी0 प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री शशि भूषण प्रसाद प्रभारी के रूप में कार्यरत थे । ओ0 पी0 प्रभारियों के पदस्थापन सूची (नामपट्ट) संधारित नहीं की गई है । निर्देश दिया जाता है कि वर्ष 1997 से अबतक पदस्थापित प्रभारियों की सूची (नामपट्ट) एक सप्ताह के अन्दर संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित प्रभारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

लगातार... 3/-

क्रमांक	पद	नाम	कबसे पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	संजय कुमार सुमन	15-08-1997	09-07-1998
2-	अवर निरीक्षक	हरिवंश सिंह	10-07-1998	05-11-1999
3-	अवर निरीक्षक	शशिभूषण प्रसाद	06-11-1999	10-01-2000
4-	अवर निरीक्षक	अख्तर हुसैन खाँ	13-01-2000	अद्यतन

4- स्थापना :-

इस ओ० पी० में स्वीकृत बल की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
1-	अवर निरीक्षक	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	1	1	-
3-	हवलदार	1	-	1
4-	आरक्षी	6	1	5
	कुल :-	9	3	6

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	अख्तर हुसैन खाँ	13-01-2000	ग्राम पठान कबई, मनीगाछी, दरभंगा
2-	सहायक अवर निरीक्षक	मंजूर आलम खाँ	25-01-2003	ग्राम नौवाघाट, थाना सदर, दरभंगा
3-	आरक्षी सं० 645	जय राम पाण्डेय	28-09-2002	ग्राम बड़कानियाँ, कृष्णा ब्रहमस्थान, ब

लगातार...4/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि हवलदार के । एवं आरक्षी के 5 कुल 6 पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि समीक्षोपरान्त रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

इस ओ० पी० का अबतक किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस ओ० पी० का नियमित रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इसके कार्य-कलाप में अपेक्षित सुधार हो सके ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम ।।6 के तहत फार्म सं०-।5 में थाना दैनिकी संधारित है । थाना में उपलब्ध दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्रमांकित भौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है, जो दो प्रतियों में हैं । कार्बन प्रति आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को प्रतिदिन भेज दी जाती है । आरक्षी निरीक्षक द्वारा एक महीने की थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित की जाती हैं । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होकर 24 घंटे के चक्र में अगले दिन 8-00 बजे प्रातः तक चलता रहता है । थाना दैनिकी नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी के बुक संख्या 9।59 के क्रमांक 09।580। से 09।5900 तक का अवलोकन किया । यह दैनिकी 28-06-2003 के 8-00 बजे पूर्वाह्न तक लिखी गई है । यह प्रविष्टि इस माह के क्रमांक 395 में अंकित है

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम ।।8 के तहत फार्म सं० ।6 में फिरारी पंजी संधारित करना है परन्तु इस ओ० पी० में इसे संधारित नहीं किया गया है । ओ० पी० प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस ओ० पी० में एक भी फरारी व्यक्ति नहीं हैं । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र प्राप्तकर फिरारी पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

लगातार...5/-

8- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट्स :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 50 में पंजी संधारित करना है कि किन्तु इस ओ0पी0 में इसे संधारित नहीं किया गया है बल्कि सभी प्राप्त वारंटों को लूट शीट में रखा गया है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक पक्ष के अंदर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस ओ0 पी0 में तीन वारंटी हैं (1) फिरोज लहेरी पे0 अताउर उर्फ अताउर रहमान, सा0 औंसी गोठ (2) दुलारे पे0 मो0 रफीक, सा0 औंसी गोठ एवं (3) मो0 जाकिर पे0 मो0 इद्रीश सा0 लहेरी बाँका । तीनों वारंटी के विरूद्ध कांड अंकित होने के बाद औंसी ओ0 पी0 क्षेत्र से भागकर वे लोग अन्यत्र चले गये हैं । उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है । मात्र एक साक्षी का वारंट लंबित है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि तीनों वारंटियों को गिरफ्तार कर एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें । साथ ही साक्षी का भी वारंट तामिला कराकर उन्हें भी गिरफ्तारकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

9- गिरफ्तार व्यक्तियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए0 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है । इस पंजी के अनुसार इस वर्ष मात्र 06 अपराधियों को ही गिरफ्तार किया गया है जबकि यह ओ0 पी0 क्षेत्र काफी संवेदनशील है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस ओर विशेष अभिरूचि लेकर सघन अभियान चलाकर अधिक-से-अधिक संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार करें ताकि उनका मनोबल गिरे एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में आसानी हो ।

10- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाइसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है एवं दिनांक 28-7-2003 को जिला मुख्यालय स्थित केन्द्रीय पंजी से सत्यापन कराया गया है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एकबार इस पंजी का मिलान करवाना आवश्यक है, जो सुनिश्चित किया जा रहा है । इस थाना में 07 आर्म्स लाइसेंस हैं, जो डी0बी0 बी0 स्ल0 के हैं ।

लगातार...6/-

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भोलूम II के नियम 239 ए. फार्म संख्या 43 ए. में हाजत पंजी संधारित करना है किन्तु इस ओ० पी० में हाजत पंजी उपलब्ध नहीं है । हाजत भी उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर,प्रपत्र प्राप्तकर एक पक्ष के अन्दर हाजत पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । यह पंजी अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । अतः थाना प्रभारी इसके सभी कॉलमों को भरवाना सुनिश्चित करेंगे । यदि इस पंजी का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है,स्तम्भ खाली रखे जाते हैं तथा बंदी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है,तो ऐसी स्थिति में साधारणतया यही माना जा सकता है कि थाना प्रभारी के द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है । यह पंजी उस समय और महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में प्रतिवेदन की माँग की जाती है ।

12- तख्ती नं०-1 :-

सरकारी सम्पत्ति से संबंधित तख्ती नं०-1 का अवलोकन किया । इसे सही ढंग से संधारित किया जा रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी केन्द्र से सम्पर्क स्थापित कर सरकारी सम्पत्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्तकर सरकारी सम्पत्ति के अतिरिक्त थाना परिसर में रखे अन्य सरकारी एवं लावारिस सम्पत्ति की भी दर्ज करें ताकि सरकारी सम्पत्ति को हड़पने अथवा क्षति पहुँचाने से रोका जा सके ।

13- तख्ती नं०-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम,पता आदि इस तख्ती में अंकित किया जाता है,जो अद्यतन अंकित है ।

14- तख्ती नं०-3 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने,भंडार,दूकानों की सूची इस तख्ती में रहती है । इस ओ० पी० में प्रतिवेदन शून्य है ।

लगातार...7/-

15- तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, अस्त्र के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

16- तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

17- तख्ती नं0-6 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दूकानों की सूची रहती है । इस ओ0 पी0 अन्तर्गत औंसी जीरो माईल पर श्री बिन्देश्वर प्रसाद, पुरानी भट्ठी, वार्ड नं0-5, मधुबनी के नाम से एक देशी एवं एक विदेशी शराब की दूकान की अनुज्ञप्ति दी गई है ।

18- तख्ती नं0-7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है किन्तु इस ओ0 पी0 में एक भी कांड पूर्व से लंबित नहीं है ।

19- तख्ती नं0-8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेसिंग सेन्टर आदि से संबंधित सूचना रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

20- तख्ती नं0-9 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । तख्ती अयत्न है एवं सूची निम्न प्रकार है :-

लगातार...8/-

क्रमांक	स्थान का नाम	दिन
1-	औंसी जीरो माईल	सोमवार एवं वृहस्पतिवार
2-	धेमुरा हाट	बुधवार एवं रविवार
3-	खैरीबाँका हाट	बुधवार एवं रविवार

21- तख्ती नं0-10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के सांसद/विधायक/पार्षद/जिला परिषद के सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्यों की सूची संधारित की जाती है, किन्तु इस तख्ती में केवल मुखिया, उपमुखिया का ही नाम अंकित किया गया है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ओ0पी0 क्षेत्र के सभी निर्वाचित सदस्यों का नाम/पता अंकितकर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

22- तख्ती नं0-11 :-

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जाती है । तख्ती अधतन है ।

23- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती में दागी सं0 बी/46-रति लाल मंडल पे0 स्व0 बासुदेव मंडल, ग्राम खैरीबाँका का नाम दर्ज है । प्रभारी द्वारा बताया गया कि श्री मंडल की जन्म तिथि 1938 है एवं लगभग 30 वर्षों से वह गाँव छोड़कर लापता है ।

24- तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है, परन्तु इस तख्ती में उपलब्ध नहीं है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की अधतन सूची प्राप्त कर संधारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...9/-

25- तख्ती नं0-14 :-

इस तख्ती में वरीय पदाधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है,जो अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना/ओ0पी0 का मानचित्र संधारित किया जाता है किन्तु इस ओ0 पी0 में तख्ती में नहीं रखकर अलग से टाँगा गया है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन मानचित्र की एक प्रति तख्ती में भी संधारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0- 16:-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके अनुसार थाना/ओ0पी0 का सृजन हुआ है,की प्रति रखी जाती है, जो अद्यतन है ।

28- तख्ती नं0-17 :- उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्ती में सारी सूचनाओं का संधारण नहीं किया गया है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर सभी सूचनाओं को अद्यतन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0 75 बी0 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस ओ0पी0 में इसे संधारित नहीं किया जा रहा है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

इस ओ0 पी0 में खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I संधारित नहीं है । प्रभारी द्वारा बताया गया कि इसे विस्फी थाना में ही संधारित किया जाता है । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से

लगातार...10/-

विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-।। :-

इस ओ० पी० में संधारित नहीं है । प्रभारी द्वारा बताया गया कि इसे बिस्फी थाना में ही संधारित किया गया है जबकि इसे इस ओ० पी० में भी संधारित होना चाहिए । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र प्राप्तकर मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि की अद्यतन प्रविष्टि करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

31- सी० डी० पार्ट- । :-

इस ओ० पी० में सी०डी० पार्ट-। संधारित नहीं है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से प्रपत्र प्राप्तकर अद्यतन करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

32- सी०डी० पार्ट -।। :-

इस ओ० पी० में संधारित नहीं है । ओ० पी० प्रभारी जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

33- सी० डी० पार्ट-।।। :-

संधारित नहीं है । जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करते हुए, अद्यतन प्रविष्टि करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

संधारित नहीं है । जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर अद्यतन प्रविष्टि करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...।।/-

35- एम० ओ० रजिस्टर :-

संधारित नहीं है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र यथा बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं० 76 ए., प्राप्तकर अद्यतन प्रविष्टि करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

यह पंजी संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सर्पदंश से	जहर खाकर	पानी में डूबने से	फाँसी से	आग से	बिजली से	गिरने से	दबकर	विविध कारण से
1999	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1999 में पानी में डूबने से एक लड़के की मृत्यु हो गई थी जबकि वर्ष 2001 में जहर खाने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी । कोई कांड सम्प्रति लंबित नहीं है ।

37- अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये जानेवाले मामलों की पंजी इस ओ० पी० में संधारित नहीं है । ओ० पी० प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभीतक इस अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में आकर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, मदद नहीं की जाती है । इनमें से अधिकांश शिकायतकर्त्ता अनुसूचित जाति के होते हैं । विदित हो कि यह ओ० पी० क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है, जहाँ मुसहर/अल्पसंख्यक लोगों की

लगातार...12/-

संख्या काफी है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति के विरूद्ध अत्याचार की घटना की सूचना विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से अक्सर मिलती रहती है । अतः ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये जानेवाले मामलों के लिए अलग से एक पंजी संधारित करें एवं प्राप्त शिकायत/आवेदन पत्र को दर्ज करते हुए त्वरित गति से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें । यदि एक-दो मामलों में कार्रवाई होती है तो इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल जायेगी एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा । इस अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराना अनिवार्य है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

पंजी संधारित नहीं है । इस ओ० पी० में शस्त्र जमा भी नहीं किया जाता है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस हेतु एक पंजी अलग से खोलें एवं ओ० पी० क्षेत्र से विस्फी थाना में अथवा ओ०पी० में जमा किये जानेवाले शस्त्रों के संबंध में विवरणी दर्ज करें ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59 (क) के तहत फार्म सं० 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । पुलिस हस्तक के नियम 59 (क) में स्पष्ट किया गया है कि "प्रपत्र संख्या 6 ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे "किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन किसी भी आरक्षी निरीक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है । आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में अच्छे ढंग से चौकीदारी पंजी संधारित है । यह पंजी 19 कॉलमों में है जिसमें सभी चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित है एवं उपस्थिति रोमन अंक में तथा अनुपस्थि

लगातार...13/-

के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जाता है ।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित चौकीदारों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	महाल/बीट सं0	पदनाम	नाम	पता
1-	5/4	चौकीदार	मो0 कलाम शाह	ग्राम खैरीबाँका, औंसी
2-	5/9	चौकीदार	राम बृक्ष पासवान	ग्राम धेमुरा, औंसी
3-	5/8	चौकीदार	विश्वनाथ पासवान	ग्राम औंसी गोठ
4-	5/7	चौकीदार	डोमू पासवान	ग्राम धेमुरा, औंसी
5-	5/10	चौकीदार	निर्मल पासवान	ग्राम-थाना औंसी

41- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 8 कॉलम भरे हुये पाये गये ।

42- मालखाना पंजी :-

इस ओ0 पी0 में मालखाना भवन नहीं है और न ही पंजी ही संधारित की गई है ।

43- मालखाना रिसिट भाउचर पंजी :-

यह पंजी संधारित नहीं है ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी संधारित नहीं है । फलतः यह पता नहीं चला कि इस ओ0 पी0 में कितनी तरह की पंजियाँ संधारित की गई हैं । ओ0 पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ओ0 पी0 में संधारित सभी पंजियों/संचिकाओं के संबंध में अलग से एक अनुक्रमणी पंजी खोलें एवं अद्यतन प्रविष्टि करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अनुक्रमणी पंजी खोलने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विस्पी से सम्पर्क स्थापित किया जाता सकता है ।

लगातार...14/-

45- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी पूर्व से संधारित नहीं थी । अधोहस्ताक्षरी का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित होने के पश्चात् गुण्डा पंजी संधारित की गई है परन्तु न तो वह प्रभारी द्वारा सत्यापित है और न ही कोई विवरणी ही अंकित की गई है । प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को सत्यापित करते हुए उपलब्ध विवरणी अंकित कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

46- अपराध आँकड़ा :-

विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1999	-	-	-	-	-	3
2000	-	-	-	-	-	3
2001	-	-	-	-	1	1
2002	2	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	3

उपर्युक्त तालिका के अवलोन से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 में हत्या की दो एवं वर्ष 2003 में दंगा के 3 घटना प्रतिवेदित हुए हैं । अतः ओ० पी० प्रभारी को इस ओर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

पत्राचार हेतु प्राप्त एवं निर्गत पंजी संधारित है । विगत तीन वर्षों के पत्राचार की स्थिति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या	लंबित पत्रों की संख्या
2001	47	47	-

लगातार...15/-

2002	40	40	-
2003	38	33	5

पत्राचार की स्थिति संतोषप्रद है ।

48- कन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना है किन्तु इस ओ०पी० में इसे संधारित नहीं किया गया है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक पक्ष के अन्दर संधारित कर किस आरक्षी द्वारा कौन-कौन सा कर्त्तव्य का पालन किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गये आदि की प्रविष्टि सुनिश्चित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

49- प्राथमिकी पंजी :-

ओ० पी० प्रभारी द्वारा बताया गया कि प्राथमिकी की मूल प्रति विस्फी थाना में रहती है एवं उसकी हूबहू प्रति यहाँ संधारित की जा रही है । प्राथमिकी पंजी के बुक नं० 19237 के क्रम संख्या 0961801 से 0961850 तक का अवलोकन किया । इस वर्ष अबतक कुल 06 प्राथमिकी दर्ज की गई है । जिला मुख्यालय में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी/ओ० पी० प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है । जब आम आदमी थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए आता है, अगर उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जाती हैं, तो उनका विश्वास प्रशासन एवं पुलिस पर से उठ जाता है तथा वे हताश हो जाते हैं और तब उन्हें उच्चाधिकारियों अथवा न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है । जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तथा वे थाने की शरण में आते हैं तो उनकी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुनते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें ।

लगातार...16/-

50- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

इस ओ० पी० में कोई भी विशेष प्रतिवेदित कांड लंबित नहीं है ।

51- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

इस ओ० पी० में एक भी अविशेष प्रतिवेदित कांड लंबित नहीं है ।

52- चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन :-

चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं की गई है बल्कि प्राप्त आवेदन पत्रों को लूज शीट में ही रखा जा रहा है, जो उचित नहीं है । ओ० पी० प्रभारी द्वारा बताया गया कि चरित्र सत्यापन से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं है । प्रतिवर्ष लगभग 100 आवेदन पत्र पासपोर्ट निर्गत हेतु चरित्र सत्यापन से संबंधित प्राप्त होते हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन से संबंधित आवेदन पत्रों के संधारण हेतु एक अलग पंजी संधारित करें एवं पासपोर्ट निर्गत करने संबंधी आवेदन पत्रों के सत्यापन के दौरान विशेष सावधानी बरतें एवं पूर्ण छानबीन के पश्चात् ही अपनी अनुशंसा भेजें । साथ ही सरकारी नौकरी में योगदान से संबंधित आवेदन पत्रों का सत्यापन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से संबंधित विभाग को भेज दें ताकि किसी व्यक्ति को नौकरी से वंचित होना नहीं पड़े । ओ० पी० प्रभारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि विगत वर्ष पासपोर्ट निर्गत हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पूर्ण विवरणी (सूची) एक माह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

53- कैश बुक :-

इस ओ० पी० में कैश बुक संधारित नहीं है । इसे विस्फी थाना में ही संधारित किया जा रहा है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि कैश बुक अलग से संधारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...17/-

54- कीट परेड का निरीक्षण :-

कीट परेड का निरीक्षण किया गया । कीट परेड में स0अ0नि0 मंजूर आलम खाँ एवं आरक्षी सं0 645 जयराम पाण्डेय शामिल हुए । दोनों को आउट-टर्न अच्छा रहा । बताया गया कि वर्दी की आपूर्ति नहीं की गई है । मात्र कम्बल की ही आपूर्ति की गई है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि पूर्ण वर्दी की आपूर्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

55- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतः ओ0पी0 प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामलों का अनुसंधान त्वरित गति से करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

(ख) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में अक्सर शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतएव प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें । गवाह प्रोडक्शन हेतु जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं, उसका तामिला निश्चित रूप से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करें ।

(ग) नीलाम पत्र वादों में प्राप्त डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ।

56- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर ओ0 पी0 का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । ओ0 पी0 प्रभारी को और कड़ी मिहनत करने की आवश्यकता है । विशेषकर उन पंजियों पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर निरीक्षण के दौरान टिप्पणी में अद्यतन करने, नई पंजी के खोलने हेतु निर्देश दिये गये हैं । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का यदि अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चि

लगातार...18/-

कर दिया जाता है तो ओ० पी० के कार्य में गुणात्मक सुधार आ जाने की पूरी संभावना है ।

ह०/- डा० बी० राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 1597 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 14 जुलाई, 2003 ई० ।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा की सूवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक, डेनीपट्टी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, बित्पी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : ओ० पी० प्रभारी, औंसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Mujendra 13.7.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।